भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3217

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आंकडों में सेंध की घटनाएं

3217. श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री अरुण गोविल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आंकडों में सेंध लगाने की बढ़ती घटनाओं और आंकडों की निजता संबंधी चिंताओं के मद्देनजर भारत में नागरिकों की व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंकड़ा संरक्षण विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा लोगों में उनके डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विशेषकर ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए डेटा निजता और सुरक्षा नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए क्या पहल की जा रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और **(ख)**: भारत सरकार ने बढ़ते डिजिटलीकरण की प्रतिक्रिया में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हेतु नवाचार और विनियमन को बढ़ावा देने के मध्य एक अद्वितीय संतुलन बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 का अधिनियमन, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) का गठन, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी करने, भारत में नागरिकों की व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति जैसी प्रमुख पहलें की हैं।

इसके अतिरिक्त, इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ('डीपीडीपी अधिनियम') का अधिनियमन है, जो डेटा सुरक्षा के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित करता है और भारत में व्यापक सुरक्षा संबंधित सरंक्षित प्रतिउपायों को लागू करने के लिये डेटा फ़िड्यूशरीज़ को अधिदेशित करता है। अधिनियम में प्रत्ययी से अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदारी से संसाधित करें, उल्लंघनों को तुरंत सूचित करें और तकनीकी और संगठनात्मक प्रतिउपायों के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करें।

क्षमता निर्माण और जागरूकता सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा कार्यनीति के अभिन्न अंग हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, जो अधिकारियों और पेशेवरों के बीच आईटी सुरक्षा कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता माह और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसे जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। उभरते खतरों, प्रशमन कार्यनीतियों और आंकड़ों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के संबंध में साइबर सुरक्षा संबंधी परामर्शी निदेश नियमित रूप से जारी किए जाते है। साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) जैसी पहलें दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें कम करने, स्थितिजन्य जागरूकता को सक्षम करने और संभावित खतरों से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

******